न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला—सलूम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 78 / 2024 प्रा.प.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 138

उनवान

1. कमला पिता गांगाजी मीणा, उम्र 75 वर्ष,
2. शंकर पिता कमला जी मीणा, उम्र बालिग
3. उंकार पिता कमला जी मीणा, उम्र बालिग
   सभी निवासी धावडा, पंचायत हडमतिया तहसील झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रार्थीगण

: बनाम :

1. पुरणमल पिता नानजी मीणा, उम्र बालिग,
2. गोविन्द पिता नानजी मीणा, उम्र बालिग,
3. भगवति पिता नानजी मीणा, उम्र बालिग,
4. रामा पिता खेता मीणा उम्र बालिग,
5. मांगीलाल पिता खेता मीणा, उम्र बालिग
6. नारू पिता पुरणमल मीणा, उम्र बालिग,
7. देवीलाल पिता पुरणमल, उम्र बालिग,
8. सुरेश पिता गोविन्द मीणा, उम्र बालिग,
9. शान्तिलाल पिता गोविन्द मीणा, उम्र बालिग,
10. प्रविण पुत्र लालुराम् मीणा, उम्र बालिग
    सभी निवासीमान धावडा तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 व सपठित धारा 151 जा.दि.

—::निर्णय::—

दिनांकः— 24/03/26

उपस्थितिः श्री प्रकाश जोशी अधिवक्ता—प्रार्थीगण
श्री लक्ष्मीलाल सालवी अधिवक्ता— विपक्षीगण

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 व्य.प्र. संहिता व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर अंकित किया कि मौजा धावडा पटवार हल्का घटेड, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर मे प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार अधिपत्य के निम्नांकित विवरण की कृषि भुमी स्थित है प्रार्थी संख्या 1 के नाम पर वर्णित भुमी आवंटित होने के बाद गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज होकर प्रार्थी सख्या 1 के नाम पर दर्ज चली आ रही है वह वर्षो से काश्त करते आ रहे है प्रार्थी संख्या 1 के वृद्धावस्था में होने के कारण प्रार्थी

सहायक कलक्टर सलूम्बर

संख्या 2 व 3 जो प्रार्थी संख्या 1 के पुत्र है वे प्रार्थी संख्या 1 के साथ ही वादग्रस्त भूमी पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थी संख्या 1 हर जगह उपस्थित नहीं हो पाते है इसलिए उनके दोनो लडके प्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रार्थनापत्र मे बतौर प्रार्थीगण स्थापित किये गये है। मौजा धावडा, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर स्थित खाता संख्या 4 कुल किता 14 रकबा 2.43 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त प्रार्थी के खातेदारी भूमि आराजी संख्या 942 रकबा 0.4700 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 944 रकबा 0.3700 हेक्टेयर, के खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थीगण ही हैं तथा उक्त भूमि पर वर्षो से शांतिपूर्वक खेती करते आ रहे हैं। विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार, हिस्सा या आधिपत्य नहीं है, फिर भी वे बलपूर्वक हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण को बेदखल करने एवं बोई गई फसल को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि विपक्षीगण को हस्तक्षेप से नहीं रोका गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा शांति भंग होने की संभावना है। अतएव प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे एवं विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मुल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमावें कि विपक्षीगण अनके परिजन, नौकर ईत्यादी कोई भी व्यक्ति प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि मे कोई दखल पैदा नही करे ना करावें एवं प्रार्थीगण को शांतिपुर्वक काश्त करते रहने देवे। तथा दौराने प्रार्थना पत्र विपक्षीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त भुमी से बेदखल कर देते है तो कब्जा प्राथीगण को दिलावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की आरे से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल सालवी ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उनके हिस्से में आई हुई है तथा वे अपने पिता एवं दादा के समय से उक्त भूमि पर काबिज होकर निरंतर खेती करते आ रहे हैं। विवादित खसरा संख्या 942 एवं 944 सहित संपूर्ण भूमि पर वास्तविक कब्जा विपक्षीगण का है और प्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है। गेहूं की फसल भी विपक्षीगण द्वारा ही बोई गई है। वादीगण दुर्भावनावश झूठा वाद प्रस्तुत कर विपक्षीगण को उनकी पैतृक भूमि से वंचित करना चाहते हैं। विपक्षीगण के पिता के जीवीत रहते कभी भी उजर एतराज नहीं किया कभी रोक टोक नहीं कि विपक्षीगण निविरोध रूप से कृषि कार्य करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि पर 40–50 वर्षो से सभी विपक्षीगण के मकान बनाय हुए है जिस पर विपक्षीगण आज भी निवासरत है। जिसे सम्पुर्ण गांव भी जानता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि मौजा धावडा, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर स्थित खाता संख्या 4 की भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वाद विर्णत भूमि पैतृक न होकर प्रार्थीगण की आवंटित भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा बलपूर्वक हस्तक्षेप कर बेदखली का प्रयास किया गया जिसकी प्रथम सूचना प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना झल्लारा को दी गयी। वादग्रस्त भूमि मे विपक्षीगण का कोई हिस्सा नही है। अतः इन्हे मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे।

विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक है एवं पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उनके कब्जे में है। वे लम्बे समय से खेती कर रहे हैं तथा भूमि पर उनके मकान भी निर्मित हैं। प्रार्थीगण कभी कब्जे में नहीं रहे। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मौजा धावडा पटवार हल्का घटेड तहसील झल्लारा राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 4 कुल किता 14 कुल रकबा 2.43 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी कमला के नाम खातेदारी दर्ज होना परिलक्षित होता है। राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी पक्ष का नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रार्थी पक्ष का दावा स्थापित होता है। यदि वर्तमान स्थिति में हस्तक्षेप रोका नहीं गया तो फसल को क्षति एवं शांति भंग होने की संभावना है, जिससे प्रार्थी पक्ष को अपूरणीय क्षति हो सकती है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थी पक्ष के पक्ष में उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे अथवा उनके परिजन वादग्रस्त मौजा धावडा पटवार हल्का घटेड की प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी संख्या 942 रकबा 0.47 हैक्टेयर एवं 944 रकबा 0.37 हैक्टेयर, में मूलवाद के अंतिम निर्णय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा दखलन्दाजी नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय दिनांक 24/03/26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर